

आदेश

1. गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची की अधिसूचना संख्या-7015, दिनांक 12.12.17 के द्वारा माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची द्वारा पी0आई0एल0 सं0-6242/2014 के सुनवाई के दौरान दिये गये निदेश के क्रम में श्री फ़ैज अकरम, पुलिस उपाधीक्षक, झा0स0पु0-6, जमशेदपुर को चिटफंट काण्डों के अन्वेषण में सहयोग प्रदान करने हेतु अगले आदेश तक केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सी0बी0आई0), राँची में प्रतिनियुक्त किया गया है।
2. गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची की अधिसूचना संख्या-7016, दिनांक 12.12.17 के द्वारा माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची द्वारा पी0आई0एल0 सं0-6242/2014 के सुनवाई के दौरान दिये गये निदेश के क्रम में श्री दीपक कुमार, पुलिस उपाधीक्षक, झा0स0पु0-8, लेस्लीगंज, पलामू को चिटफंट काण्डों के अन्वेषण में सहयोग प्रदान करने हेतु अगले आदेश तक केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सी0बी0आई0), राँची में प्रतिनियुक्त किया गया है।
3. गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची की अधिसूचना संख्या-7017, दिनांक 12.12.17 के द्वारा श्री महेन्द्र सिंह मुण्डा, पुलिस उपाधीक्षक के पदस्थापन संबंधी पूर्व निर्गत विभागीय अधिसूचना संख्या-1808, दिनांक-29.03.2017 को तत्काल प्रभाव से विलोपित किया गया है। श्री मुण्डा, पुलिस उपाधीक्षक, अपराध अनुसंधान विभाग, झारखण्ड, राँची के पद पर यथावत बने रहेंगे।

श्री मुण्डा को अगले आदेश तक Lead Agency, परिवहन विभाग, झारखण्ड, राँची के पद पर प्रतिनियुक्त किया गया है।

गत्यादेश:- उक्त अधिसूचना के आलोक में अपने नये पदस्थापन/प्रतिनियुक्ति स्थान पर योगदान प्रतिवेदित करना सुनिश्चित करेंगे।

पुलिस महानिदेशक, झारखण्ड, राँची के आदेशानुसार

पुलिस महानिरीक्षक(मानवाधिकार)
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक.....1600...../जी0

XP/11-03-2013

महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक का कार्यालय, झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांक 19/12/2017

प्रतिलिपि:-

1. माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव, झारखण्ड, राँची को कृपया सूचनार्थ।
2. माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, झारखण्ड, राँची को कृपया सूचनार्थ।
3. मुख्य सचिव, झारखण्ड, राँची को कृपया सूचनार्थ।
4. प्रधान सचिव, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची को कृपया सूचनार्थ।
5. महानिदेशक-सह-महासमादेष्टा, गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशमन सेवार्ये/पुलिस महानिदेशक, भ्र0नि0 ब्यूरो, राँची-सह-अध्यक्ष, जे.पी.एच.सी.एल., राँची।
6. महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ।
7. सभी अपर पुलिस महानिदेशक, झारखण्ड, राँची को कृपया सूचनार्थ।
8. सभी पुलिस महानिरीक्षक/सभी पुलिस उप-महानिरीक्षक झारखण्ड को कृपया सूचनार्थ।
9. अवर सचिव, वित्त(वै0द0नि0कोषांग) विभाग, झारखण्ड, राँची को कृपया सूचनार्थ।
10. वरीय पुलिस अधीक्षक, राँची/जमशेदपुर/धनबाद/सभी पुलिस अधीक्षक/सभी समादेष्टा, झारखण्ड को कृपया सूचनार्थ।
11. पुलिस अधीक्षक, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सी0बी0आई0), राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ।
12. संबंधित पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ।
13. प्रभारी, महानिदेशक नियंत्रण कक्ष/प्रभारी डाटा सेन्टर, पुलिस मुख्यालय, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं सभी संबंधित जिला/इकाई को फ़ैक्स/ई-मेल/वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

अपर पुलिस महानिदेशक(मुख्यालय),
झारखण्ड, राँची।